## प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - दावा फार्म

(दावेदार और बैंक द्वारा पूरा किया जाना है)

| 1. योजना का नाम  | : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।   |
|--|--|
| 2. पालिसी सं.  | :  |
| 3. बैंक का पूरा नाम और पता :   |  |
|  |  |
| 4. मृतक सदस्य का पूरा नाम :  | बीमा कंपनी की आईडी:  |
| 5. सदस्य द्वारा योजना में प्रविष्टि की तिर्ग   | थे:  |
| 6. सदस्य की मृत्यु की तिथि :   |  |
| 7. क्या मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है   | : हां /नहीं,   |
| यदि हां, तो दस्तावेजी प्रमाण जमा करें  |  |
| 8. नामिती का नाम *   | :  |
| हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त प्रश्नों<br>में <b>मृत्यु प्रमाणपत्र</b> संलग्न करते हैं। | ं के उत्तर हर प्रकार से सही हैं। हम सदस्य की मृत्यु के प्रमाण के रूप   |
| *नामिती के नाबालिग होने की स्थिति में, अभिभावक दावा फार्म भर सकता है।                    |  |
|  | <br>(नामिती/दावेदार का हस्ताक्षर*)   |
| उसकी मृत्यु से पहले की नवीनीकरण '<br>(बीमा कंपनी का नाम)                                 | के उपर्युक्त सदस्य पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत बीमित था और<br>तिथि तक उसके बैंक खाते से प्रीमियम नामे किया गया था और<br>को भेज दिया गया था। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारे<br> |
| स्थान  |  |
| तिथि :   | (बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)   |
|  | मोहर   |
| 11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-   |  |

संलग्नकः मृत्यु प्रमाणपत्र, अदायगी फार्म, बीमा का प्रमाण-पत्र

दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में, एफआईआर, पीएमआर, पंचनामा भी जमा करना होगा।